

## FORM NO-10

फर्द अहकाम

(नियम-26)

अज अदालत अपर जिला कलक्टर मुकाम सीकर

रामचन्द्र

बनाम

मधु वगै०

किस्म मुकदमा:- प्रार्थना पत्र स्थगन

मु०न० 06/2026

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स	नम्बर वतारीख अहकामजो इस हुक्मकी तामील में जारी हुए
25.03.2026	<p>प्रार्थी की ओर से वकील श्री सागरमल धायल उपस्थित।</p> <p>प्रार्थना पत्र स्थगन बाबत अपीलाधीन नामांतरण संख्या 1670 दिनांक 16.03.2026 की आड़ में भूमि खसरा नम्बर 638/47 तन ग्राम चैलासी के राजस्व रिकॉर्ड व मौके की यथास्थिति बनाये रखने हेतु पेश किया है।</p> <p>प्रार्थी की बहस प्रार्थना पत्र स्थगन सुनी गई एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया। वकील प्रार्थी की बहस एवं प्रस्तुत दस्तावेजात से सहमत होने पर अप्रार्थीगण को जरिये अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा से प्रतिबंधित किया जाता है कि भूमि खसरा नम्बर 638/47 तन ग्राम चैलासी तहसील सीकर ग्रामीण के सम्बंध में आगामी तारीख पेशी 24.04.2026 तक राजस्व रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाये रखे।</p> <p>आदेश एवं नोटिस जारी होकर पत्रावली दिनांक 24.04.2026 को पेश हो।</p> <p style="text-align: center;">२५</p> <p style="text-align: center;">अतिरिक्त जिला कलक्टर, सीकर</p> <p>1714/26 अधिवक्ता जार्ज द्वारा मिसल तलबी आदेश पेश करने पर पत्रावली आज पेशी में ली गई। अधिवक्ता जार्ज के निवेदन द्वारा कि पक्षकारों के मध्य राजीनामा हो चुका है अपील नोट डेस में खारिज की जा चुकी है अतः ज.पत्र स्थगन को खारिज करवाया जावे। अधिवक्ता जार्ज के निवेदन से सहमत होने पर प्रार्थना-पत्र स्थगन को इसी स्तर पर खारिज किया जाता है पत्रावली केवल सुनार होकर मूल अपील के संलग्न रहे।</p> <p style="text-align: center;">२५</p> <p style="text-align: center;">अतिरिक्त जिला कलक्टर, सीकर</p>	